18/8/25 आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हेतु
हेतु पेश की गई। हमने पत्रावली का
अध्ययन किया गया। तथा वकील वादी
को बहस पर मनन किया गया। अतः वादी
का वाद-पत्र डिक्री किया जाता है। विस्तृत
निर्णय अलग से लिखा जाकर 210 कि०
किया गया। पत्रावली फैसल शुमार
होकर नम्बर से कम हो बाद पूर्ति
होकर दाखिल दफ्तर हो।

[illegible] अधिकारी
[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ कोटपूतली–बहरोड़

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामकिशोर मीणा (आर.ए.एस.)
परिवाद संख्या :– 176/24
दायर दिनांक :– 04.11.2025
निर्णय दिनांक :– 18/8/2025

उनवान

1. देवेन्द्र पुत्र कर्मबीर दत्तक पुत्र माधो जाति अहीर निवासी कल्याणपुर तहसील बहरोड़।
2. शकुन्तला पत्नी कर्मबीर दत्तक पुत्र माधो जाति अहीर निवासी कल्याणपुरा तहसील बहरोड़।
3. संगीता पुत्री कर्मबीर दत्तक पुत्र माधो जाति अहीर निवासी कल्याणपुरा हाल पत्नी देवेन्द्र जाति अहीर निवासी बिरमपुर तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा।
4. कमलेष पुत्री कर्मबीर दत्तक पुत्र माधो,जाति अहीर निवासी कल्याणपुरा तहसील बहरोड़।
5. अनिता पुत्री कर्मबीर दत्तक पुत्र माधो जाति अहीर निवासी कल्याणपुरा तहसील बहरोड़ हाल पत्नी इन्द्रजीत जाति अहीर निवासी माढेया तह. जिला रेवाडी हरि.। –प्रार्थी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बहरोड तहसील बहरोड़। ....अप्रार्थी

दावा इस्तकरारीक दुरूस्ती।

उपस्थित :–

1. श्री रोषनलाल यादव अधिवक्ता प्रार्थी।

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते निर्णय पेष कि गई। वकील प्रार्थी उपस्थित है। वादीगण द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 537 रकबा 37 ऐयर वाके ग्राम बहरोड तरफ बलराम तहसील बहरोड में स्थित है। जिसे बाद पत्र के आगामी सभी पदो में आराजी मुतनाजा से संम्बोधित किया जा रहा है। आराजी मुतनाजा का वास्तविक खातेदार काष्तकार माधो पुत्र अर्जुन जाति अहीर निवासी कल्याणपुरा तहसील बहरोड है जो मो माधो का स्वर्गवास दिनांक 13.05.1994 को हो चुका है। तथा माधो पुत्र श्री अर्जुन ने वादीगण के पिता पती कर्मबीर सिंह पुत्र हजारीसिंह जाति अहीर निवासी कल्याणपुरा तहसील बहरोड को विधिवत रूप से गोद लिया तथा गोद की सभी रष्में पुर्ण कर रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 14.06.1978 को करवाया जो गोदनामा संलग्न है। अब दिनांक 10.10.2024 को हम वादीगण आराजी मुतनाजा पर के.सी. ऋण लेने के लिए पटवारी हल्का के पास फाईल बनवाने गये और फाईल बनवानी चाही तो पटवारी हल्का ने बताया की जमीन माधो पुत्र अर्जुन की खातेदारी में ही दर्ज तथा माधो की जाति राजस्व रिकार्ड में प्रजापति(कुम्हार) अंकित होना बताया जिस पर हम वादीगण ने माधो की जाति अहीर होने बाबत कहाँ तो पटवारी हल्का ने बताया की जाति को दुरूस्त

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

करवाकर जमीन को अपने नाम करवाये उसके बाद ही के.सी.सी. ऋण मिल सकता है। जिस पर हम वादीगण सभी दस्तावेज लेकर तहसीलदार साहब बहरोड के समक्ष दिनांक 14.10.2024 को गये और हम वादीगण के बुजुर्ग माधो की जमीन राजस्व रिकार्ड में (प्रजापति) कुम्हार अंकित है को दुरूस्त कर सही जाति अहीर करने व माधो व कर्मवीर सिंह का स्वर्गवास हो चुका है जिसे उक्त जमीन को हम वादीगण के नाम करने का निवेदन किया तो तहसीलदार साहब बहरोड़ ने बताया की सक्षम न्यायालय में जाति दुरूस्त की कार्यवाही कर जमीन को गोदनामा के आधार पर अपने नाम करवाये।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निम्न दादरसी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सादीर अता फरमाया जाने की कृपा करे कि डिक्री इस्तकरारहक दुरूस्ती बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादीर अता फरमायी जावे की आराजी ख.न. हाल 537 रकबा 37 ऐयर वाके ग्राम बहरोड़द तरफ बलराम तहसील बहरोड में स्थित है जिसका वास्तविक खातेदार काश्तकार वादीगण का बुजुर्ग माधो ,अर्जुन जाति अहीर निवासी कल्याणपुरा तहसील बहरोड़ जो माधो अविवाहित होने पर वादीगण के पति/पिता कर्मवीर सिंह पुत्र हजारीसिंह जाति अहीर निवासी कल्याणपुरा तहसील तहसील बहरोड़ को विधिवत रूप से गोद लिया एवं गोद की रष्म अदा कर रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 14.06.1978 को करवाया तथा माधो का स्वर्गवास दिनांक 13.05.1994 को एवं कर्मवीर सिंह दत्तक पुत्र माधो का स्वर्गवास दिनांक 13.02.1994 को हो चुका ळै तथा मृतक माधो की जाति राजस्व रिकार्ड में राजस्व विभाग द्वारा बिना पुछ ताछ किये बिना साबिक रिकार्ड व अन्य रिकार्ड का अवलोकन किये बिना अहीर के स्थान पर (प्रजापति) कुम्हार अंकित कर दी जो खिलाफ मौका खिलाफ कानून ,खिलाफ दस्तावेज है जिसको मुताबिक रिकार्ड व दस्तावेज के दुरूस्त की जाकर माधो की जाति (प्रजापति) कुम्हार को कलमजन किया जाकर अहीर अंकित की जावे तथा माधो पुत्र अर्जुन जाति अहीर निवासी कल्याणपुरा तहसील बहरोड़ का स्वर्गवास हो चुका है जिस सूरत में मुताबिक परिवार सजरा के वादीगण मृतक माधो के वारिसान है की सूरत में माधो का नाम कलमजन किया जाकर मुताबिक परिवार सजरा व कब्जा के वादीगण को सम्भाग के रू५ से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब दावा के सभी पदो को वादी स्वयं सिद्व करे बाबत निवेदन किया है। किसी प्रकार का प्रतिकार नही किया है।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत 2076–2079 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी संवत 2033 प्रदर्श–02, नकल जमाबन्दी संवत 2068 प्रदर्श–3, नकल गोदनामा दिनांक 14.06.1978 प्रदर्श–04, शपथ पत्र

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

प्रदर्श–5 एवं वादी देवेन्द्र पुत्र कर्मवीर दत्तक पुत्र माधोसिंह जाति अहीर निवासी कल्याणपुरा का शपथ पत्र पेश किया है।

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की एक पक्षिय बहस सुनी तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया। जमाबन्दी संवत 2033 में माधो सिंह पुत्र अर्जुन कौम अहीर साकिन कल्याणपुरा खातेदार दर्ज है, जो प्रदर्श–02 से स्पष्ट है। जमाबन्दी संवत 2076–2079 के आराजी खसरा नम्बर 537 रकबा 0.37 है0 के खातेदार श्री माधो पुत्र अर्जुन हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार(प्रजापति) साकिन कल्याणपुरा खातेदार काश्तकार दर्ज है, जो प्रदर्श–01 से स्पष्ट है। इस प्रकार से भू–प्रबन्ध विभाग संवत 2042 में माधोसिंह पुत्र अर्जुन सिंह की जाति अहीर के बजाय प्रजापति दर्ज कर दी जो काबिल दुरूस्ती है। माधो सिंह पुत्र अर्जुन ने दिनांक 14.06.1978 को कर्मवीर सिंह को गोद लिया जाकर गोदनामा किया गया है। जो प्रदर्श–4 से स्पष्ट है। वादीगण द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 537 रकबा 0.37 है0 वाके ग्राम बहरोड तर्फ बलराम तहसील बहरोड में हमारे ससुर/दादा माधो पुत्र अर्जुन की जाति कुम्हार (प्रजापति) गलत दर्ज हो गई जबकि माधो की सही व वास्तविक जाति यादव (अहीर) होना अंकित किया है जो प्रदर्ष–05 से स्पष्ट है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण के दादा की वास्तविक जाति अहीर है। वादीगण के दादा अविवाहित होने के कारण अपनी आराजी को वादीगण के पिता कर्मवीर सिंह के नाम गोदनामा किया गया है। उक्त गोदनामा को किसी न्यायालय में चेलेंज नही किया गया है। ना ही कोई किसी प्रकार का दस्तावेज पत्रावली में संलग्न किया गया। एवं तहसीलदार (पैरोकार सरकार) द्वारा भी उक्त गोदनामा के संबध में कोई प्रतिकार नही किया गया है। कर्मवीर दत्तक पुत्र माधोसिंह दिनांक 15.02.1994 को फोत हो चुका है। माधोसिंह पुत्र अर्जुन सिंह भी दिनांक 13.05.1994 को फोत हो चुका है। चुकि माधोसिंह पुत्र अर्जुन सिंह व कमवीर पुत्र हजारीसिंह को दिनांक 14.03.1978 को गोद ले लिया था उक्त कर्मवीर पुत्र हजारी सिंह भी फोत हो चुका है। वादीगण उक्त कर्मवीर के वारिस होना अंकित किया है। जिस सूरत में वादीगण का वाद पत्र पूर्णतया सिद्व पाया जाता है।

–: आदेश :–

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर आदेष दिये जाते है कि आराजी खसरा नम्बर 537 रकबा 0.37 है0 वाके ग्राम बहरोड़ तरफ बलराम के हाल इन्द्राज माधोसिंह पुत्र अर्जुन हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन कल्याणपुरा खातेदार में जाति कुम्हार (प्रजापति) को कलमजन कर जाति अहीर दर्ज किया जावे वादीगण को उपरोक्त आराजी का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। इसी कदर हाल भू–राजस्व अभिलेख को संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी कदर पर्चा डिक्री जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 18/8/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ कोटपूतली–बहरोड़

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामकिशोर मीणा (आर.ए.एस.)
परिवाद संख्या :– 176 / 24
दायर दिनांक :– 04.11.2025
निर्णय दिनांक :– 18/8/25

उनवान

1. देवेन्द्र पुत्र कर्मबीर दत्तक पुत्र माधो जाति अहीर निवासी कल्याणपुर तहसील बहरोड़।
2. शकुन्तला पत्नी कर्मबीर दत्तक पुत्र माधो जाति अहीर निवासी कल्याणपुरा तहसील बहरोड़।
3. संगीता पुत्री कर्मबीर दत्तक पुत्र माधो जाति अहीर निवासी कल्याणपुरा हाल पत्नी देवेन्द्र जाति अहीर निवासी बिरमपुर तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा।
4. कमलेष पुत्री कर्मबीर दत्तक पुत्र माधो,जाति अहीर निवासी कल्याणपुरा तहसील बहरोड़।
5. अनिता पुत्री कर्मबीर दत्तक पुत्र माधो जाति अहीर निवासी कल्याणपुरा तहसील बहरोड़ हाल पत्नी इन्द्रजीत जाति अहीर निवासी माढेया तह. जिला रेवाडी हरि.। –प्रार्थी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बहरोड तहसील बहरोड़। ....अप्रार्थी

<u>दावा इस्तकरारीक दुरूस्ती।</u>

उपस्थित :–

1. श्री रोषनलाल यादव अधिवक्ता प्रार्थी।

–: पर्चा डिक्री :–

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते निर्णय पेष कि गई। वकील प्रार्थी उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया तथा विद्ववान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर आदेष दिये जाते है कि आराजी खसरा नम्बर 537 रकबा 0.37 है0 वाके ग्राम बहरोड़ तरफ बलराम के हाल इन्द्राज माधोसिंह पुत्र अर्जुन हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन कल्याणपुरा खातेदार में जाति कुम्हार (प्रजापति) को कलमजन कर जाति अहीर दर्ज किया जावे वादीगण को उपरोक्त आराजी का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। इसी कदर हाल भू–राजस्व अभिलेख को संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/8/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)